न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––90/2018

प्रविष्टि दिनांक – 08.08.2018

उनवान

1. शंकर पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

मथरा देवी पत्नि स्व0 श्री रामलाल जाति जाट गोत्र जूवानियां निवासी वार्ड नं. 7 तालाब की पाल के पास, डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री सेतराम चौधरी–अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री शिवराज टाण्डी– अभिभाषक अप्रार्थीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक– 31.10.2018

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी वादी ने अपने वाद पत्र बाबत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख. न. 65/1 रकबा 02 बीघा 03बिस्वा वाके ग्राम उस्मानुपरा पटवार हल्का डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक मे स्थित हैं। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में है, जिसे उसको हर तरह से अन्तरित करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि प्रार्थी को बिल एंवज 41,95,000/– रूपये में विक्रय कर प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 25.07.2017 को 500/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प र प्रार्थीगण के पक्ष में निस्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था। उक्त इकरारनामें की रूह में दिनांक 25.12.2017 को प्रार्थीगण से 7,47,000/– येपये प्राप्त कर लिये किन्तु जब शेष राशि देने गये तो हमारे हक में विक्रय करने इन्कार कर दिया। उसके मन में बइमानी आ गई है। प्रार्थीगण विपक्षी को अपने वचन व इकरार के मुताबिक शेष बची प्रतिफल राशि आज भी अदा करने को तैयार है एंव तत्पर है ताि यदि विपक्षी उक्त राजी को किसी अन्य को अन्तरित करने में कायमयाब हो गई तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी, इसलिए उसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। अतः प्रतिपक्षीगण को वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार वादग्रस्त भूमि को विक्रय नहीं करें एंव वर्तमान स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिपक्षीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार वादीगण ने किस दिनांक के इकरारनामा बेचान के आधार पर वाद पेश किया है यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने तथाकथित इकरारनामा बेचान की शर्तों की पालना नहीं की गई। प्रतिवादीगण ने उसकी प्रतिफल राशि अदा नहीं की गई है ओर ना ही वादग्रस्त भूमि का विक्रयपत्र पंजीयन कराया है। प्रतिपक्षी वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार होने से उसके पावन्द नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने इकरारनामा के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जबकि इकरारनामा के अनुसार सुनवायी का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वादीगण को सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। विधि विरूद्ध वाद पेश होने से वाद वादीगण/प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 30.08.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गयें।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अभिभाषक उभय पक्ष बहस पर मनन किया। हक, अधिकार एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय आदि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार विवादित भूमि ख.न. 65/1 की प्रतिपक्षी खातेदार काश्तकार है। वादीगण/प्रार्थीगण इकरारनामें की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण वादीया/प्रतिपक्षीया को जरिये स्थायी एंव अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उनका अंकन नहीं है। प्रतिपक्षी अकेली खातेदार अंकित है। इस प्रकार प्रतिपक्षीया को पाबन्द किया जाना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित है। वादीगण/प्रार्थीगण को इकरारनामा के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में अंकित घटक प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने के कारण यह प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः यह प्रार्थनापत्र विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 65/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा तहसील व जिला टोंक विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज **दिनांक 31.10.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner